फा. सं. ऐरा/20010/मोका- संदर्भ/2018-19/खंड -III
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
*****

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 07 नवम्बर, 2023

<u>सार्वजनिक सूचना संख्या 19/2023-24</u>

विषय: हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा वैमानिक सेवा प्रदान करने के लिए पूर्व-अपेक्षा के रूप में गैर- वैमानिक सेवा का लाभ प्राप्त करना अनिवार्य करने पर ऐरा अधिनियम, 2008 के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण आदेश जारी करने के संबंध में

हितधारकों ने ऐरा को यह सूचित किया है कि कुछ हवाईअड्डा प्रचालक (प्रमुख हवाईअड्डे) गैर-वैमानिक सेवाओं (जैसे; एलीट मीट और ग्रीट सेवा) के लिए प्रभार लगा रहे हैं/वसूल कर रहे हैं, जो अन्यथा चार्टर/हवाईअड्डा प्रचालकों के लिए एक वैकल्पिक सेवा है। चार्टर उड़ानों के संबंध में वैमानिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए वे इसे पूर्वपिक्षा बना रहे हैं। वैमानिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ऐसे गैर-वैमानिक प्रभारों को अनिवार्य बनाना वैमानिक प्रभारों में परिवर्तन करने के समान है, इस प्रकार ऐरा अधिनियम, 2008 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

2. एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 2(ए) में 'वैमानिक सेवाओं' को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और इसमें वैमानिक सेवाएं (जैसे, हवाईअड्डे पर विमान/चार्टर का प्रचालन करना) प्रदान करने के लिए अनिवार्य पूर्व अपेक्षा के रूप में 'किसी गैर-वैमानिक सेवा (जैसे एलीट मीट और ग्रीट सेवा) का लाभ उठाना' शामिल नहीं है।

3. हवाईअड्डा प्रचालक, जो ऐसी प्रथाएं (वैमानिक सेवा प्रदान करने के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में वैकल्पिक गैर-वैमानिक सेवा का लाभ उठाना अनिवार्य करना) अपना रहे हैं, यदि कोई हो, तो वे स्पष्ट रूप से ऐरा अधिनियम, 2008 का उल्लंघन कर रहे हैं।

4. संबंधित हितधारकों का ध्यान ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 38 और 40 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐरा के निर्देशों का अनुपालन न करने पर हवाईअड्डा प्रचालकों/सेवा प्रदाताओं के संबंध में ऐरा को उचित दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

5. पूर्ववर्ती पैरा में दी गई स्थिति को देखते हुए, सभी हवाईअड्डा प्रचालकों/सेवा प्रदाताओं (प्रमुख हवाईअड्डों) को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे ऐसी प्रथाओं (वैमानिक सेवा प्रदान करने के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में वैकल्पिक गैर-वैमानिक सेवाओं का लाभ उठाने को अनिवार्य करना) यदि कोई हो, को न अपनाएं।

6. यदि किसी हवाईअड्डा प्रचालक/सेवा प्रदाता द्वारा इन निदेशों का अनुपालन न करने की स्थिति ऐरा के ध्यान में लाई जाती है, तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

(सुयश नारायण)
सचिव, ऐरा